आवश्यक

संख्या:07/2021/497/12-2-2021-एफ.42/2001टी0सी0

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला कृषि अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 04 फरवरी, 2021

विषय: कृषकों को उर्वरकों के क्रय हेतु समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर कैशलेस/डिजिटल भुगतान प्रणाली हेतु क्यू-आर कोड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या: उर्वरक/490/प्राविधिक/पी0ओ0/2020-21 दिनांक 03 जुलाई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निदेशक (डी0बी0टी0), उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या: 15011/20/2019-डीबीटी दिनांक 30 जून, 2020 की प्रति प्रेषित करते हुए फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर कृषकों द्वारा उर्वरक क्रय करने के लिए कैशलेस/डिजिटल भुगतान प्रणाली के हेतु क्यू-आर कोड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या: 693 दिनांक 06 अगस्त, 2020, पत्र संख्या 1293 दिनांक 27 अक्टूबर, 2020, पत्र संख्या सी 16 दिनांक 17 नवम्बर, 2020 तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं समीक्षा बैठक में निर्देश दिये जाने के बावजूद भी संलग्न प्रगति विवरण के अनुसार लगभग 07 माह का समय व्यतीत होने के होने के उपरान्त मात्र जनपद बुलन्दशहर, हापुड़, शाहजहॉपुर, बलिया एवं अलीगढ़ की प्रगति 75 प्रतिशत से अधिक हुई है। जनपद देवरिया, गोरखपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, बांदा तथा मुजफफरनगर जनपदों की प्रगति 30 प्रतिशत से भी कम है। इस प्रकार आप द्वारा भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किए जाने में रूचि नहीं ली जा रही है। (जनपदवार सूची संलग्न है)

3. अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन उर्वरक विक्रेताओं के क्यू-आर कोड नहीं है, उनको एक सप्ताह के भीतर क्यू-आर कोड उपलब्ध कराते हुए शतप्रतिशत की प्रगति कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:07/497(1)/12-2-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, उत्तर प्रदेश, कृषि निदेशालय, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।